

विकासशील देशों में करारोपण के उद्देश्य

विकासशील देशों में आयोजित आर्थिक विकास के सन्दर्भ में करारोपण के उद्देश्य होते हैं—(1) विकास, (2) समानता एवं (3) स्थिरता। अब इन तीनों की जांच विस्तार से की जाय।

(1) विकास उद्देश्य

आर्थिक वृद्धि की माप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के रूप में की जाती है। इसके लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश (Investment) की दर को तेज करना होगा। विदेशी सहायता की अनुपस्थिति में, निवेश की वित्त व्यवस्था घरेलू बचत के द्वारा की जाती है। घरेलू बचत के तीन अंग हैं—पारिवारिक बचत, निजी एवं सार्वजनिक कम्पनियों की बचत तथा सरकार की बचत (जो सरकार की आय तथा चालू लोक व्यय का अन्तर होता है)। कर नीति ऐसी होनी चाहिए जो बचत के तीनों अंगों पर अनुकूल प्रभाव डाले। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति कर का भुगतान अपने चालू व्यय में कटौती करके ही करे, बचत को घटाकर नहीं। कम्पनियों का लाभ पर्याप्त हो ताकि लाभांश बांटने के बाद भी काफी लाभ बच जाय। सरकार की बचत में वृद्धि के लिए जरूरी है कि कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हो। सभी लक्ष्यों की एक साथ प्राप्ति कठिन होती है, फिर भी कर की रचना ऐसे ढंग से होनी चाहिए ताकि यथासम्भव इनके मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इसके लिए परोक्ष करों पर ही निर्भर करना पड़ेगा जैसा अगले अध्याय 12 में बताया जायेगा।

आर्थिक विकास के सिलसिले में कर नीति का अधिक प्रत्यक्ष सम्बन्ध इस बात से है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विकास व्यय की वित्त व्यवस्था के लिए पर्याप्त कर आय प्राप्त हो। इसके लिए करारोपण में निम्न गुण होने चाहिए : (1) लोच (Elasticity), (2) विस्तृत आधार (Comprehensive base) तथा (3) प्रशासनिक कार्यकुशलता (Administrative Efficiency)। लोचदार कर की यह विशेषता है कि इसमें अन्तर्निहित लचक (Built-in flexibility) होती है। इसका यह अर्थ है कि कर की दर या आधार में परिवर्तन किये

बिना ही आय में वृद्धि के कारण कर आय में ऐसी वृद्धि हो कि इसकी आय लोच एक से अधिक रहे। कर आय केवल आय लोच पर ही निर्भर नहीं करती है बल्कि इस बात पर भी कि कर का आधार कितना विस्तृत है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि कर के क्षेत्र में विस्तार किया जाय। प्रशासनिक कार्यकुशलता का सम्बन्ध एडम स्मिथ के मितव्ययिता के सिद्धान्त (Canon of Economy) से है। राजस्व वसूल करने का खर्च कम होना चाहिए। अतः ऐसे करों को ही चुनना चाहिए जिनसे न्यूनतम वसूली लागत पर अधिकतम आय प्राप्त हो सके।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विकासोन्मुख कर नीति का प्रभाव निजी क्षेत्र पर क्या पड़ता है, इस प्रश्न को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी कर नीति अपनानी होगी जिससे सरकार को अधिक-से-अधिक राजस्व मिले तथा निजी बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहित भी करे। कर की इस भूमिका की तटस्थता के सिद्धान्त के साथ मेल नहीं है, जबकि तटस्थता विकसित देशों में कर का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। तटस्थ कर वे हैं जो न तो वस्तुओं के मध्य उपभोक्ता के चयन में विकृति पैदा करते हैं या वैकल्पिक रोजगारों के मध्य मजदूरों के चयन में और न ही उत्पादन के साधनों के मध्य उत्पादनकर्ता के चयन में। इसलिए तटस्थ पर किसी भी प्रकार की आय को छूट नहीं देता है क्योंकि ऐसा करने पर कर व्यवस्था असमान, अकुशल एवं साधनों के आबंटन में विकृति पैदा करने वाली हो जायेगी। ऐसी धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा में ऐसे आबंटन की सम्भावना रहती है। पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा वास्तविक नहीं है। अतः बाजार द्वारा निर्धारित आबंटन भी आदर्श नहीं। यह विशेषकर विकासशील देशों के लिए सही है। इन देशों में आदर्श आबंटन वही है जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है। योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर की भूमिका आर्थिक नियन्त्रण के विचलन यन्त्र (diversionary instrument) की तरह है। इस यन्त्र के रूप में कर का निम्नलिखित उपयोग हो सकता है :

- (क) बचत एवं उपभोग तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद के मध्य कर पारिवारिक चयन को प्रभावित कर सकता है। बचत को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी प्रावधान प्रत्यक्ष करों में शामिल किये जाते हैं। उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए परोक्ष करों का उपयोग किया जाता है।
- (ख) योजना के उद्देश्यों के अनुरूप श्रम, पूंजी तथा भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष करों में अनेक प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।
- (ग) उत्पादन विधि के मध्य चयन के लिए भी करों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक तटस्थता का सिद्धान्त विकासशील देशों के लिए अधिक संगत है।